सं0सं0–म0नि0–II–उ0 यो0–105/2023–24/.......12 रा0 (वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 06-07-23

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में राज्य योजना तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो0 3921.45997 लाख (उनचालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सन्तानवे) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर योजना के कियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 4175.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 3921.45997 लाख (उनचालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सन्तानवे) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर योजना के कियान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है जिसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc Tank/Biofloc Pond में पंगेशियस/GIFT तिलापिया एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर0एफ0एफ0 हेतु इनपुट, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो–आउट नेट, गिल–नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग आदि कार्य किए जायेंगे।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 3921.45997 लाख (उनचालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सन्तानवे) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

(राशि लाख रु0 में)

क्र0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	1623.00	1622.98365	0.01635
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	11.00	11.00	0.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050010106010544**	140.00	50.00	90.00

4	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050010106010759**	11.00	11.00	0.00
	उप योगः	**1785.00**	**1694.98365**	**90.01635**
(ख)	**लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078906010323**	390.00	389.98352	0.01648
	उप योगः	**390.00**	**389.98352**	**0.01648**
(ग)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079606010323**	1751.00	1750.99280	0.0072
2	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का क्रय **53S24050079606010440**	20.00	0.00	20.00
3	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050079606010543**	35.00	35.00	0.00
4	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S24050079606010544**	180.00	36.50	143.50
5	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050079606010759**	14.00	14.00	0.00
	उप योगः	**2000.00**	**1836.49280**	**163.5072**
	कुल योगः	**4175.00**	**3921.45997**	**253.54003**

कुल मो0 3921.45997 लाख (उनचालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतालीस हजार नौ सौ सन्तानवे) रु0 मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/ हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/ सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट–I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/– (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष–789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष–796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष–101 में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत् अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/– (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत्–प्रतिशत् अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रुप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 473.75 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1895 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/–रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य के 137 पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरियों से 274 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख–रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 96 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। हैचरी संचालक समूह के द्वारा प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम 40,000/– रु0 की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा एवं व्यय की गई राशि से संबंधित अभिश्रव लाभुक समूह द्वारा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा किया जायेगा। तद्नुसार प्रकिया के अनुरुप कोषागार से राशि लाभुक समूह के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिकी से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख–रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/–रु0 का फैक्ट्री फॉरमूलेटेड एक्सट्रूडेड मैश फीड (Factory Formulated Extruded Mash Feed) दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम् 2000/–रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक ऑकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसी प्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 700/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रुप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्ठों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/– रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) जलाशयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निबंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे एवं तद्नुसार लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) विगत वर्षों की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 187 नाव हेतु प्रति नाव की अनुमानित इकाई लागत 33,000/– (तैंतीस हजार) रू0 होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 30,000/– (तीस हजार) रू0 प्रति नाव लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(ङ.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत 35,000/– (पैंतीस हजार) रू0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेगें। मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ् (Latitude – longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ् तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो0 25000/–रू0 प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2017–18 के पूर्व निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर साईज के 45 Ply के 12–24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो–आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम् दो नये ग्रो–आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में 45 Ply के knotted ग्रो–आउट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,425/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,819/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो–आउट नेट अथवा 6 मीटर x 4 मीटर x 4 मीटर साईज से बड़े साईज के ग्रो–आउट नेट का क्रय

करते हैं तो उनके अनुदान की गणना उक्त दर 30,425/– रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी एवं आवश्यक शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2018–19 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2017–18 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो–आउट नेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो–आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size- 14'-0" x 5'-4" x 2'-0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope-50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 4,45,000/– रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 4,00,500/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड–19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 638/– रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत् की आर्थिक सहायता अर्थात् 2871/– रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015–16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016–17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है।

केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष शाखा, हजारीबाग द्वारा मो0 5,06,800/– रुपये मात्र प्रति केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध केज हाउस (मछली पालन हेतु केज सम्मिलित नहीं) की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 5,06,000/– रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है।

ध्यान रखा जाए कि जहाँ पूर्व से केज हैं, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय और मोटरबोट उपलब्ध कराई जाए।

(ञ) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 X पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86,000/– रु0 अनुमानित है। इस योजना के अंतर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) मद के तहत् आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ–साथ क्रय आदि की विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

(ठ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ड) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार योजना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोपेंटस का समय–समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

11. योजना के तहत कंडिका–8 (ग), 10 (ड.), (छ), (झ) एवं (ञ) में अंकित Components हेतु चयनित प्रत्येक लाभुकों/लाभुक समूहों/लाभुक समितियों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के संबंधित बैंक खातों (Escrow Account) में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। अंतिम रुप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

12. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. विषयगत योजना कार्यान्वयन के कम में मशीन, उपस्कर इत्यादि के कय हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा निर्धारित मानकों/शर्त्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

16. मशीन, उपस्कर इत्यादि के Specification का निर्धारण मत्स्य निदेशालय स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किये जाने के उपरांत विहित पारदर्शी वित्तीय प्रक्रिया अपनाते हुए खुली निविदा से किया जाए।

17. योजनान्तर्गत प्रसंगाधीन शीर्ष के तहत जिस अवयव के लिए बजटीय उपबंध प्रावधानित है, स्वीकृत राशि का व्यय उन्हीं कार्यों के निमित सुनिश्चित किया जाय।

18. योजनान्तर्गत वैसे अवयव जिनका दर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में निदेशालय स्तर पर इच्छा की अभिव्यक्ति के आधार पर किया गया है, उन अवयवों के अद्यतन दर का निर्धारण नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. योजनाओं को भौतिक निरीक्षण निदेशक, मत्स्य/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्र०	पदाधिकारी	योजनावार निरीक्षण की न्यूनतम संख्या
1.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	20 (बीस)
2.	उप मत्स्य निदेशक	10 (दस)
3.	संयुक्त मत्स्य निदेशक	05 (पाँच)
4.	निदेशक, मत्स्य	02 (दो)

प्रत्येक निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा।

20. योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागदारी सुनिश्चित किया जाए।

21. Cluster पद्धति से ही कार्य कराया जाय ताकि योजना का समुचित अनुश्रवण हो सके।

22. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

23. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

24. वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

25. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

26. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 4000.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 3730.00 लाख रु0 – मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो0 3285.2319 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

27. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

28. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

29. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

30. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

31. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12 रा० (वि०), /राँची, दिनांक 06-07-2023

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12 रा० (वि०) /राँची, दिनांक 06-07-2023

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12 रा० (वि०) /राँची, दिनांक 06-07-2023

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12 रा० (वि०) /राँची, दिनांक 06-07-2023

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

12 (ग) 06-07-2023

परिशिष्ट – I

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) – मुख्य शीर्ष – 2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1 हजारीबाग	2 रामगढ़	3 कोडरमा	4 चतरा	5 बोकारो	6 गिरिडीह	7 धनबाद	8 गोड्डा	9 पलामू	10 गढ़वा	11 देवघर	योग
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री												
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	120	70	60	80	130	80	80	60	50	50	110	890
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	10.80	6.30	5.40	7.20	11.70	7.20	7.20	5.40	4.50	4.50	9.90	80.10
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	400	280	280	310	360	250	340	280	340	300	360	3500
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट फॉर्मूलेटेड फीड तथा जाल का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	16.00	11.20	11.20	12.40	14.40	10.00	13.60	11.20	13.60	12.00	14.40	140.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	10000	7000	7000	7750	9000	6250	8500	7000	8500	7500	9000	87500
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	49.500	34.650	34.65	38.3625	44.55	30.94	42.075	34.6500	42.08	37.125	44.5500	433.1250
7	पोर्टेबल हैचरी से मत्स्य स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	22	10	12	8	18	20	16	10	8	4	18	146
8	पोर्टेबल हैचरी से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	8.80	4.00	4.80	3.20	7.20	8.00	6.40	4.00	3.20	1.60	7.20	58.40
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	10	5	0	0	10	0	5	0	2	2	4	38
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.80	1.60	15.20
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	44	13	20	6	14	6	16	6	8	3	16	152
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	35.20	10.40	16.00	4.80	11.20	4.80	12.80	4.80	6.40	2.40	12.80	121.60
13	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	1.50	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	9.50
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	1.05	0.70	0.70	0.35	0.35	0.70	0.70	0.35	0.70	0.35	0.70	6.65
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	34	13	28	10	26	13	25	11	14	10	20	204
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	25.50	9.75	21.00	7.50	19.50	9.75	18.75	8.25	10.50	7.50	15.00	153.00
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	15	5	5	3	5	3	6	3	6	3	4	58
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	22.50	7.50	7.50	4.50	7.50	4.50	9.00	4.50	9.00	4.50	6.00	87.00
19	वर्ष 2021–22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	66	12	23	14	21	4	10	3.60	4.06	1	15	173.66
20	वर्ष 2021–22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	99.00	18.00	34.50	21.00	31.50	6.00	15.00	5.40	6.09	1.50	22.50	260.49
21	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	35	25	40	10	0	13	30	0	20	10	10	193
22	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	8.75	6.25	10.00	2.50	0.00	3.25	7.50	0.00	5.00	2.50	2.50	48.25
23	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	14	3	12	4	5	3	3	2	6	5	4	61
24	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	4.20	0.90	3.60	1.20	1.50	0.90	0.90	0.60	1.80	1.50	1.20	18.30
25	वर्ष 2018–19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	22	14	30	0	8	0	6	0	6	9	0	95
26	वर्ष 2018–19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	5.02018	3.19466	6.85	0.00	1.83	0.00	1.37	0.00	1.37	2.0537	0.00	21.67805
27	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	4	1	2	0	0	1	0	1	2	0	0	11
28	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	16.020	4.01	8.01	0.00	0.00	4.005	0.00	4.01	8.01	0.00	0.00	44.06
29	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	26	0	20	5	6	5	6	20	20	20	32	160
30	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	0.75	0.00	0.57420	0.14355	0.17226	0.14355	0.17226	0.57	0.57420	0.57420	0.91872	4.59360
31	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	4	4	2	0	0	4	0	2	2	1	4	23
32	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	18.22	18.22	9.11	0.00	0.00	18.22	0.00	9.11	9.108	4.554	18.216	104.742
33	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	10	30
34	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	25.80
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	325.30264	137.06566	182.48790	103.15605	155.39778	108.40205	146.06640	92.83720	122.72634	83.45691	166.08472	1622.98365
ख	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)												
35	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रु0 में)	2.00	1.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	1.00	11.00
ग	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार												
36	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	70	50	10	0	20	0	0	20	10	0	20	200
37	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु0 में)	17.50	12.50	2.50	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	50.00
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	17.50	12.50	2.50	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	50.00
घ	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय												
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रु0 में)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	345.80264	151.56566	186.98790	104.65605	162.39778	110.40205	148.06640	99.83720	127.22634	84.95691	173.08472	1694.98365

(मो0 सोलह करोड़ चौरानबे लाख अन्ठानबे हजार तीन सौ पैंसठ रु0 मात्र)

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

12 LTO (वि०)
06-07-2023

परिशिष्ट – II

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग
क	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	रांची	खूंटी	गुमला	सिमडेगा	लोहरदगा	लातेहार	चाईबासा	जमशेदपुर	सरायकेला	दुमका	जामताड़ा	साहेबगंज	पाकुड़	म०फि०प्र०के०	
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	120	50	260	95	55	65	105	90	60	100	80	60	60	110	1310
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	10.800	4.500	23.400	8.550	4.950	5.850	9.450	8.100	5.400	9.000	7.200	5.400	5.400	9.900	117.900
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	282	130	250	190	180	230	328	260	370	250	180	180	170	0	3000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट (फॉर्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	11.280	5.200	10.000	7.600	7.200	9.200	13.120	10.400	14.800	10.000	7.200	7.200	6.800	0.000	120.000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	7050	3250	6250	4750	4500	5600	8000	6500	9600	6250	4500	4500	4250	0	75000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	34.8975	16.0875	30.938	23.5125	22.2750	27.7200	39.6000	32.175	47.5200	30.9375	22.2750	22.275	21.0375	0.000	371.250
7	पोर्टेबल हैचरी से स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	14	6	6	10	10	10	16	8	16	8	8	8	8	0	128
8	पोर्टेबल हैचरी से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	5.600	2.400	2.400	4.000	4.000	4.000	6.400	3.200	6.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0.000	51.200
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	10	0	10	5	0	5	5	5	0	3	5	0	0	10	58
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.20	2.00	0.00	0.00	4.00	23.20
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	47	8	15	14	7	9	25	11	49	15	13	0	9	0	222
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	37.60	6.40	12.00	11.20	5.60	7.20	20.00	8.80	39.20	12.00	10.40	0.00	7.20	0.00	177.60
13	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	1.50	0.50	1.50	1.00	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	10.50
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	1.05	0.35	1.05	0.70	0.35	0.70	1.05	0.35	0.70	0.35	0.00	0.70	0.00	0.00	7.35
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	45	13	19	16	11	12	38	13	44	46	16	0	11	0	284
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	33.75	9.75	14.25	12.00	8.25	9.00	28.50	9.75	33.00	34.50	12.00	0.00	8.25	0.00	213.00
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	15	1	3	2	1	1	7	1	10	5	3	0	1	0	50
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	22.50	1.50	4.50	3.00	1.50	1.50	10.50	1.50	15.00	7.50	4.50	0.00	1.50	0.00	75.00
19	वर्ष 2021-22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेसियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं० लाख में)	16.57	4	4	4.50	4.50	0	15	0	76	6	1.60	0	0.70	0	132.87
20	वर्ष 2021-22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेसियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	24.86	6.00	6.00	6.75	6.75	0.00	22.50	0.00	114.00	9.00	2.40	0.00	1.05	0.00	199.31
21	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	50	4	14	14	10	10	20	12	40	20	10	0	8	0	212
22	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	12.50	1.00	3.50	3.50	2.50	2.50	5.00	3.00	10.00	5.00	2.50	0.00	2.00	0.00	53.00
23	म०जी०स० समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	20	4	8	5	2	2	10	5	11	5	10	10	2	0	94
24	म०जी०स० समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	6.00	1.20	2.40	1.50	0.60	0.60	3.00	1.50	3.30	1.50	3.00	3.00	0.60	0.00	28.20
25	वर्ष 2018-19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो-आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	20	0	15	6	5	0	20	0	30	10	10	0	0	0	116
26	वर्ष 2018-19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो-आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	4.5638	0.0000	3.4229	1.3691	1.1410	0.0000	4.5638	0.0000	6.8457	2.2819	2.2819	0.0000	0.0000	0.0000	26.4700
27	म०जी०स० समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	2	0	4	3	1	0	2	0	3	2	0	0	0	0	17
28	म०जी०स० समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	8.01	0.00	16.02	12.015	4.005	0.00	8.01	0.00	12.02	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09
29	म०जी०स० समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	40	10	26	10	10	0	40	10	160	30	10	0	10	0	356
30	म०जी०स० समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	1.1484	0.2871	0.7465	0.2871	0.28710	0.00	1.1484	0.2871	4.594	0.86130	0.2871	0.00	0.2871	0.00	10.2208
31	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	5	1	4	3	1	0	3	0	10	1	0	0	0	0	28
32	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	22.770	4.554	18.216	13.662	4.554	0.00	13.662	0.00	45.54	4.554	0.00	0.00	0.00	0.00	127.512
33	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	50	0	0	5	5	0	10	0	15	10	0	0	0	0	95
34	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	43.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	8.60	0.00	12.90	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	284.3247	59.2286	152.8428	115.9457	78.26205	70.2700	197.1042	81.0621	371.2143	148.49470	79.2440	41.7750	57.3246	13.90	1750.99280
ख	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)															
35	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रु० में)	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	35.000
ग	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार															
36	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं० में)	20	0	6	10	10	0	20	0	50	20	10	0	0	0	146
37	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	5.00	0.00	1.50	2.50	2.50	0.00	5.00	0.00	12.50	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	36.50
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	5.00	0.00	1.50	2.50	2.50	0.00	5.00	0.00	12.50	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	36.50
ग	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय															
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रु० में)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	14.000
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	308.82470	61.22860	156.34281	120.44574	82.76205	72.27000	204.10420	83.06210	386.21430	155.49470	83.74400	43.77500	59.32460	18.90000	1836.49280

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(रु० अठारह करोड़ छत्तीस लाख उनचास हजार दो सौ अस्सी रु० मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

12 ल0 (कृ0)
06-07-2023

परिशिष्ट – III

वित्तीय वर्ष 2023-24 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
क	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	राँची	खूँटी	गुमला	सिमडेगा	लोहरदगा	लातेहार	चाईबासा	जमशेदपुर	सरायकेला	दुमका	जामताड़ा	साहेबगंज	पाकुड़	हजारीबाग	रामगढ़	कोडरमा	चतरा	बोकारो	गिरिडीह	धनबाद	गोड्डा	पलामू	गढ़वा	देवघर	योग
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	20	10	10	20	300
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.350	0.450	3.600	0.450	0.450	0.450	0.900	0.900	1.350	1.350	0.900	0.900	1.800	1.350	0.450	1.350	0.900	0.900	0.900	0.900	1.800	0.900	0.900	1.800	27.000
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	100	40	50	20	40	30	30	30	50	30	30	30	40	70	30	50	30	50	50	45	45	30	20	60	1000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट (फार्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.000	1.600	2.000	0.800	1.600	1.200	1.200	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	2.800	1.200	2.000	1.200	2.000	2.000	1.800	1.800	1.200	0.800	2.400	40.000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3000	1000	1250	500	1000	750	900	750	1500	750	750	500	750	2400	800	1400	800	1400	1400	1250	1250	800	500	1600	27000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	14.8500	4.9500	6.1875	2.4750	4.9500	3.7125	4.4550	3.7125	7.4250	3.7125	3.7125	2.4750	3.7125	11.8800	3.9600	6.9300	3.9600	6.9300	6.9300	6.1875	6.1875	3.9600	2.4750	7.9200	133.6500
7	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	2	1	2	2	1	1	3	1	5	3	2	0	1	6	3	5	3	4	3	3	2	4	2	3	62
8	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.60	0.80	1.60	1.60	0.80	0.80	2.40	0.80	4.00	2.40	1.60	0.00	0.80	4.80	2.40	4.00	2.40	3.20	2.40	2.40	1.60	3.20	1.60	2.40	49.60
9	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3	1	2	0	1	0	2	0	7	4	2	0	1	4	3	5	3	4	3	4	2	3	3	4	61
10	जलाशय मे मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	2.25	0.75	1.50	0.00	0.75	0.00	1.50	0.00	5.25	3.00	1.50	0.00	0.75	3.00	2.25	3.75	2.25	3.00	2.25	3.00	1.50	2.25	2.25	3.00	45.75
11	जलाशय मे ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	5	4	0	0	2	2	2	0	0	0	0	21
12	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
13	वर्ष 2021-22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	2	0	2	0.50	0.50	0	0	0	4	0	0	0	0	6	3	2	0	0.80	0	2	1	0	0	5	28.80
14	वर्ष 2021-22 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS//Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	3.00	0.00	3.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.50	3.00	0.00	1.20	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	7.50	43.20
15	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	4	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	6	2	5	1	2	0	2	0	3	0	2	32
16	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.60	1.50	0.30	0.60	0.00	0.60	0.00	0.90	0.00	0.60	9.60
17	वर्ष 2018-19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो-आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	0	0	0	0	0	0	0	Q	0	0	0	0	0	6	6	13	0	0	0	0	0	0	8	0	33
18	वर्ष 2018-19 के पूर्व निर्मित केज के लिए ग्रो-आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3691	1.3691	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8255	0.00	7.5303
19	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	8	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	6	0	4	6	4	5	17	75
20	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.22968	0.00	0.14	0.00	0.2871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14355	0.00	0.1723	0.00	0.1148	0.17	0.11	0.14	0.48807	2.15325
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	29.97968	8.55	18.031	6.075	11.3871	6.1625	10.455	6.613	33.225	11.663	8.913	4.575	8.663	43.64269	22.72914	25.6400	11.0100	21.0023	17.480	21.00234	14.5598	12.525	9.9941	26.10807	389.98352

(रु0 तीन करोड़ नवासी लाख अन्ठानबे हजार तीन सौ बावन रू0 मात्र)

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव